# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र रिव्यू सं0 56/2015

उपेन्द्र कुमार पुत्र विश्वम्भरदयाल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ग्राम समलेटी तहसील महवा जिला दौसा राज0

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिव्यू अंतर्गत धारा 86(2) राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते पुनर्विचार आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 30.6.2015

उपस्थित—1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

**निर्णय** दिनांक: 24.07.2024

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2015 जो कि अपील सं0 8/2012 पर पारित किया गया है से व्यथित होकर यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिव्यू में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि प्रार्थी के सगे ताउ गिर्राज पुत्र मूल्या (मूलचंद) जाति जांगिड ब्राह्मण की ग्राम समलेटी तहसील महवा में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1341/1448, 600/1449, 601 कल किता 3 रकबा 0.31है. स्थित है। प्रार्थी के ताउ गिर्राज प्रसाद ने ब्राह्मण की ग्राम समलेटी तहसील महवा में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1341/1448, 600/1449, 601 कल किता 3 रकबा 0.31है. स्थित है। प्रार्थी के ताउ गिर्राज प्रसाद ने ब्राह्मण की ग्राम समलेटी तहसील महवा में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1341/1448, 600/1449, 601 कल किता 3 रकबा 0.31है. स्थित है। प्रार्थी के ताउ गिर्राज प्रसाद ने ब्राह्मण की ग्राम समलेटी तहसील महवा में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1341/1448, 600/1449, 601 कल किता 3 रकबा 0.31है. स्थित है। प्रार्थी के ताउ गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण की ग्राम समलेटी तहसील महवा में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1341/1448, 600/1449, 601 कल किता 3 रकबा 0.31है. स्थित है। प्रार्थी के ताउ गिर्राज प्रसाद अविवाहित थे। उनका उत्तराधिकारी केवल प्रार्थी ही है। गिर्राज प्रसाद ने एक वसीयतनामा भी 10 रू. के स्टांप पर प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करा उसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया था जिसमें गिर्राज प्रसाद ने यह घोषित किया कि
" मेरी चल व अचल संपत्ति ... विश्वम्भरदयाल का पुत्र उपेन्द्र कमार ही होगा और मैने उसे संपत्ति संभला दी।"
गिर्राज प्रसाद के देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी उपेन्द्र कुमार ने तहसीलदार महवा को प्रार्थना पत्र पेश किया कि गिर्राज प्रसाद की उक्त खातेदारी भूमि का नामान्तरण उसके नाम तस्दीक किया जावे। किसी भी अन्य व्यक्ति ने ना तो इसके विपरीत कोई कोई प्रार्थना पत्र या कोई आपत्ति तहसीलदार महवा के समक्ष पेश न होने पर भी तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

महवा ने आपत्ति मांगने के कारण गिर्राज प्रसाद के समस्त रिश्तेदारों भाई भतीजों को अदालती नोटिस जारी किये गये। इसके अलावा सार्वजनिक सूचना प्रमुख तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जिस पर प्रार्थी का पांच सं छह हजार रूपये खर्च हो गये। समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशित होने पर भी किसी की भी कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। इतना ही नहीं तहसीलदार महवा ने पंचायत के नोटिस बोर्ड, तहसील के नोटिस बोर्ड, व कोर्ट के नोटिस बोड पर भी नोटिस चस्पा कर आपत्ति मांगी गई परन्तु कोई आपत्ति नहीं आई। जिससे निस्संदेह सिद्ध हो गया कि स्व.गिर्राज प्रसाद का एक मात्र उत्तराधिकारी उपेन्द्र ही है परन्तु तहसीलदार महवा ने सार्वजनिक अखबारों में सूचना प्रकाशित कराने, सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करने व प्रार्थी उपेन्द्र व स्व. गिर्राज के के परिवारजनों को नोटिस भेजकर सूचना देने पर भी कोई आपत्ति नहीं आने पर भी नामान्तरण तस्दीक नहीं किया। उसके पश्चात तहसीलदार महवा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी और पटवारी हल्का ने दिनांक 29.4.2011 को यह रिपोर्ट पेश की कि स्व. गिर्राजप्रसाद का एकमात्र उत्तराधिकारी उपकेन्द्र ही है और सामाजिक रूप से भी उसे उत्तराधिकारी मानकर समाज ने पगडी बंधाने का दस्तूर संपन्न किया है। इस रिपोर्ट के बावजूद भी तहसीलदार महवा ने उपेन्द्र के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नहीं करके उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थी उपेन्द्र ने तहसीलदार महवा के आदेश दिनांक 27.2.2012 के विरूद्ध धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील न्यायालय जिला कलक्टर के यहाँ प्रस्तुत की। अपील को अन्तिम बहस में आने पर अपीलांट ने लिखित बहस पेश की गई तथा साथ में विभिन्न रूलिंग्स भी पेश की परन्तु तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय दौसा ने उक्त अपील दिनांक 30.6.2015 को इस आधार पर खारिज कर दी कि उपेन्द्र के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है। तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय दौसा ने न तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया ना ही प्रस्तुत रूलिंग्स पर दृष्टि तक नहीं डाली गई। अपीलांट की लिखित बहस व रूलिंग्स का कोई हवाला निर्णय में नहीं दिया और न ही यह लिखा कि अपीलांट ने लिखित बहस व रूलिंग्स पेश की जबकि लिखित बहस आदि पत्रावली में शामिल है। कानूनन वसीयतनामा का पंजीयन आवश्यक नहीं है। मृत्यु पूर्व कोई व्यक्ति किसी को अपनी संपत्ति वसीयत करता है तो उस समय पंजीयन कैसे करा सकता है। इसलिए वसीयत किसी भी कागज पर लिख सकता है और उसके पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क के कथन में माननीय राजस्व मंडल, राज. अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी 391 व 2002(2) आरआरटी 786 की प्रतियां पेश की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता की परीक्षा नहीं की जा सकती। रजिस्टर्ड वसीयत एवं अन रजिस्टर्ड वसीयत का भी कानून में समान प्रभाव है। वसीयत अन्तिम मान्य होती है। अगर पहले रजिस्टर्ड वसीयत है परन्तु उस व्यक्ति ने बाद में अन रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर दी तो पहले वाली रजिस्टर्ड वसीयत स्वयंमेव रद्द हो जाती है और अन्तिम वसीयत चाहे चाहे वह अन रजिस्टर्ड हो, मान्य [illegible] और अन्तिम वसीयत के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया जा सकता है अर्थात तहसीलदार महवा को वसीयतनामे की वैधता की जांच करने का अधिकार [illegible] के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2021(2)आरआरटी 952, 2019(1)आरआरटी 184 की प्रति प्रस्तुत की। तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय दौसा ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों की सरासर अनदेखी कर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए नामान्तरण नहीं किया जा सकता है। कानूनी प्रावधान की अनदेखी कर भूलवश जो आदेश पारित कर दिया जाता है उसको रिव्यू कर निरस्त करने का प्रावधान भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

की धारा 86 व सीपीसी की धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 01 में है जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई आदेश में एरर एपरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड हो तो उस आदेश को निरस्त कर पुनः सही आदेश पारित किया जा सकता है। यह प्रावधान न्यायोचित है क्योंकि भूलवश गलती किसी भी कारण से हो सकती है। गलत आदेश की जानकारी होते ही रिव्यू मंजूर कर उसे भूल सुधार करना न्यायोचित एवं व आवश्यक भी है। इसीलिए रिव्यू का प्रावधान बनाया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त क समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 1964 एससी 377, एआईआर 1964 एससी 526, एआईआर 1969 केरला 186 पेश किये जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार फरमाया जाकर तत्कालीन जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार महवा के आदेश दिनांक 27.2.2012 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार महवा को निर्देश प्रदान किये जावे कि स्व. गिर्राज प्रसाद की कृषि भूमि खसरा नंबर 1341/1148, 600/1449, 601 कुल किता 3 रकबा 0.31है. वाके ग्राम समलेटी का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार महवा को प्रार्थना पत्र के साथ एक लिखावट दिनांक 19.11.2003 की छाया प्रति जो अप्रमाणित है जिसमें गिर्राज के अंगूठे की निशानी दर्शायी गयी है जो दिनांक 15.11.2003 को नोटेरी से प्रमाणित कराई है। गिर्राज की मृत्यु दिनांक 22.10.2007 को हुई है। नियमानुसार वसीयत का पंजीयन होना अनिवार्य है। खाली लिखावट से कोई अधिकार तय नहीं होते है। जिला कलक्टर महोदय, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।
6. इस संबंध में धरा 86 भू राजस्व अधिनियम 1956 अवलोकनीय है जो किइस प्रकार है:—

"86. Review by the Board and other Courts – (1) The Board of its own motion, or on application of a party to a suit or other proceeding may reivew and may rescind, alter or confirm any 63[xxx] order made by itself or by any of its members. (2) Even other revenue court or officer may either on its or his own motion, or on application of any party interested, review any 63[xxx] order passed by itself or himself or by any of its or his predecessors in office and pass such orders in reference thereto as it or he thinks fit: Provided that – (i) no 63[xxx] order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such [xxx] order; (ii) no 63[xxx] order from which an appeal has been made or which is the subject of any revision proceedings shall, so long as such appeal or proceedings are pending be reviewed; (iii) no 63[xxx] order affecting any question of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party to the proceedings, and no application for the review of such 63[xxx] order shall be entertained unless it is made within ninety days from the passing of the 63[xxx] order. (3) An application for review under this section shall lie on any of the grounds mentione din rule 1 of Order XLVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) and the procedure on the said order shall, subject to the provisions containe din sub-section (2), be the applicable."

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

7. साथ ही सिविल प्रकिया संहिता 1908 के सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है:–

ORDER XLVII REVIEW 1. Application for review of judgment.—(1) Any person considering himself aggrieved— (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order. 1. Ins. by Act 24 of 1951, s. 2. 229 (2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applied for the review. 1 [Explanation.—The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for the review of such judgment.] 2. [To whom applications for review may be made.]—Rep. by the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1956 (66 of 1956) s. 14. 3. Form of applications for review.—The provisions as to the form of preferring appeals shall apply, mutatis mutandis, to applications for review. 4. Application where rejected.—(1) Where it appears to the Court that there is not sufficient ground for a review, it shall reject the application. (2) Application where granted.—Where the Court is of opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same: Provided that— (a) no such application shall be granted without previous notice to the opposite party, to enable him to appear and be heard in support of the decree or order, a review of which is applied for; and (b) no such application shall be granted on the ground of discovery of new matter or evidence which the applicant alleges was not within his knowledge, or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made, without strict proof of such allegation. 5. Application for review in Court consisting of two or more Judges.—Where the Judge or Judges, or any one of the Judges, who passed the decree or made the order a review of which is applied for, continues or continued attached to the Court at the time when the application for a review is presented, and is not or not precluded by absence or other cause for a period of six months next after the application from considering the decree or order to which the application refers, such Judge or Judges or any of them shall hear the application, and no other Judge or Judges of the Court shall hear the same. 6. Application where rejected.—(1) Where the application for a review is heard by more than one Judge and the Court is equally divided, the application shall be rejected. (2) Where there is a majority, the decision shall be according to the opinion of the majority. 7. Order of rejection not appealable. Objections to order granting application.—No order of the Court rejecting the application shall be appealable; but any order granting an application may be objected to at once by an appeal from the order granting the application or in an appeal from the decree or order finally passed or made in the suit.] (2) Where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear, he may apply for an order to have the rejected application restored to the file, and, where it is proved to the satisfaction of the Court that he was prevented by any sufficient cause from appearing which such application was called on for hearing, the Court shall order it to be restored to the file upon such terms as to costs or otherwise

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

as it thinks fit, and shall appoint a day for hearing the same. (3) No order shall be made under sub-rule (2) unless notice of the application has been served on the opposite party. 8. Registry of application granted, and order for re-hearings.—When an application for review is granted, a note thereof shall be made in the register and the Court may at once re-hear the case or make such order in regard to the re-hearing as it thinks fit. 1. Ins. by Act 104 of 1976, s. 92 (w.e.f. 1-2-1977). 2. Subs. by Act 104 of 1976, s. 92, for sub-rule (1) (w.e.f. 1-2-1977). 230 9. Bar of certain application.—No application to review an order made on an application for a review or a decree or order passed or made on a review shall be entertained.

8. रिव्यू के अंतर्गत विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय इस प्रकार है:–
1. नजरसानी का क्षेत्र स्कोप बहुत ही सीमित माना गया है– तथ्यों की पुनर्विवेचना तथा दृष्टान्तों पर पुनः व्याख्या नजरसनानी के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। नजरसानी का स्कॉप बहुत ही सीमित है। (2002 आरआरडी पृष्ट 719 से 720 पैरा 7)
2. रिव्यू का स्कॉप रिवीजन एवं अपील की तुलना में सीमित माना गया है(2003 आरआरडी 357 पैरा 16)
3. पुनर्विलोकन याचिका (रिव्यू) अपील का स्थान नहीं ले सकती ... नजरसानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित (आरआरडी 2018–540–541)
4. इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ नजरसानी का आधार नहीं हो सकता (2002 आरआरडी पेज 720 पैरा 7)
5. यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीडित है तो उसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं से ठीक किया जा सकता है। परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्य या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामले को पुरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है, पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट निपटीशन का स्थान नहीं ले सकती है।(रणजीत बनाम राजस्थान राज्य, 2012 आरबीजे 433)
6. **Review – error apparent on the fae of record, means an error which strike on or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions.** (राजाराम व अन्य बनाम गुरूदेव सिंह व अन्य, 2015 आरबीजे 591–592)
7. अभिनिर्धारित–विधि के हर पहलुओं पर विचार कर सिंगल बैंच द्वारा आदेश गुण अवगुण के आधार पर पारित किया गया। स्पष्टतया प्रत्यक्ष रूप से रिकार्ड पर कोई त्रुटि नहीं। एक बिन्दु जिसे सुना जाकर निर्णित कर दिया गया है, वह रिंव्यू का आधार नहीं बन सकता है(राजाराम एवं अन्य बनाम गुरूदेव सिंह एवं अन्य 2015 आरआरडी 665 2015 आरबीजे 591)

9. उपरोक्त वर्णित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, सिविल प्रकिया संहिता के सुसंगत प्रावधान एवं माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत का हमने अवलोकन किया। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अहादेश 08/2012 दिनांक 30.6.2015 जिसके विरूद्ध वर्तमान में यह रिव्यू पेश की गई है उसका हमने अवलोकन किया। उक्त आदेश में जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर विभिन्न तथ्यात्मक तथा न्यायिक बिन्दुओं जैसेकि विरासत का अप्रामणति होना, 10 रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टांप पर होना, वसीयत रजिस्टर्ड न

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:39 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

होना, उत्तराधिकारी का प्रमाणीकरण न होना इत्यदि बिन्दुओं के आधार पर अपना निर्णय पारित किया। जैसाकि उपर उल्लेखित विभिन्न दृष्टान्तों से यह स्पष्ट है कि रिव्यू के अंतर्गत तथ्य, साक्ष्य या विधि की त्रृटियों को सही नहीं किया जाता किन्तु केवल वह अभिलेख की त्रृटियां जो देखने से ही प्रतीत हो, उन पर निर्णय किया जा सकता है। मैं इस बात से असहमत हूँ कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण मे चाहा जा रहा अनुतोष रिव्यू के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:39 IST
Reason: SelfAttested